REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-04082022-237893 CG-DL-E-04082022-237893

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3478]नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 3, 2022/श्रावण 12, 1944No. 3478]NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 3, 2022/SHRAVANA 12, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2022

का.आ. 3645(अ).—केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 689 (अ), दिनांक 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत:—

उक्त अनुसूची में, क्रम सं. 212 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:—

क्र. सं.	नई रारा सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)
		कर्नाटक राज्य में मंगलुरु के निकट रारा-66 के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर बंतवाल,
212	73	बेलतांगडी, मुदिगेरे, बेलूर, बनवर, अर्सीकेरे को जोड़ने वाला और तुमकुर के पास
		रारा-48 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग, जिसमें उजीरे के पास
		अपने जंक्शन से शुरू होकर धर्मस्तला को जोड़ने वाला और पेरियाशांति के पास रारा-
		75 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला स्पर शामिल है।

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और तत्संबंधी अनुसूची, भारत के राजपत्र दिनांक 4 अप्रैल, 2011 को अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांक 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और पिछली बार संशोधन अधिसूचना सं. का. आ. 3275 (अ), दिनांक 21 जुलाई, 2022 द्वारा किया गया था।

[फा. सं. एनएच-14012/15/2022-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd August, 2022

S.O. 3645(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O 689 (E), dated, the 4th April, 2011, namely:—

In the Schedule, for serial number 212 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:--

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
212	73	The highway starting from its junction with NH-66 near Mangaluru connecting Bantval, Beltangadi, Mudigere, Belur, Banavar, Arsikere and terminating at its junction with NH-48 near Tumkur <i>including spur starting from its</i> <i>junction near Ujire connecting Dharmastala and terminating at its junction</i> <i>with NH-75 near Periyashanthi</i> in the State of Karnataka.

Footnote:-The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O. 689 (E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 3275(E), dated 21st July, 2022.

[F. No. NH-14012/15/2022-P&M]

RAJESH GUPTA, Director